**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1512**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तीव्र बढ़ोतरी**

**†1512. श्रीमती छाया वर्माः**

 **चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

 **श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे हत्या, अपहरण और दुराचार में तीव्र बढ़ोतरी दर्ज हुई है;**

**(ख) विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) कितने आपराधिक मामलों को पुलिस बल के शिथिल रवैये के कारण रोका नहीं जा सका है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी़ किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ‘क्राइम-इन-इंडिया’ में अपराधों से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2018 तक के लिए उपलब्‍ध हैं। वर्ष 2016 से 2018 के दौरान, महिलाओं के प्रति अपराधों के अंतर्गत हत्‍या, अपहरण, महिलाओं के सम्‍मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला तथा महिलाओं की मर्यादा के अपमान के तहत सूचित किए गए मामलों का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** में दिया गया है। तथापि, विगत तीन वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में विभिन्न अपराध शीर्षों की अपराध दर (अपराध दर = सूचित किए गए मामलों की संख्या/वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या लाख में) की तुलना करने पर एकसमान प्रवृत्ति नजर नहीं आती है। सरकार ने नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने, विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, एफआईआर को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के लिए एडवाइजरी जारी करने और एफआईआर दर्ज न करने पर इसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इससे महिलाओं के प्रति अपराध की रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है।

**-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं. 1512**

(ग): इस प्रकार के आंकड़े एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखने, महिलाओं सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने की जिम्‍मेदारी संबंधित राज्‍य सरकारों की है। राज्‍य सरकारें, कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने पुलिस कार्मिकों को जागरूक करने और एफआईआर दर्ज न करने पर इसके लिए दंडात्‍मक प्रावधान करने सहित महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की हैं। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.gov.in](http://www.mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*

**-3-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1512, दिनांक 04.03.2020**

**अनुलग्‍नक-।**

**वर्ष 2016 से 2018 के दौरान, महिलाओं के प्रति अपराधों के अंतर्गत हत्‍या, अपहरण, महिलाओं के सम्‍मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला तथा महिलाओं की मर्यादा के अपमान के तहत सूचित किए गए मामले**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **क्र.सं.** | **अपराध शीर्ष** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | बलात्‍कार/सामूहिक बलात्‍कार के साथ हत्‍या \* | - | 223 | 294 |
| 2 | महिलाओं का अपहरण और व्‍यपहरण | 64519 | 66333 | 72751 |
| 3 | महिलाओं के सम्‍मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला | 84746 | 86001 | 89097 |
| 4 | महिलाओं की मर्यादा का अपमान | 7305 | 7451 | 6992 |
| स्रोत: क्राइम इन इंडिया‘\*’ – वर्ष 2016 के संबंध में बलात्‍कार/सामूहिक बलात्‍कार के साथ हत्‍या से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे गए हैं। नोट : वर्ष 2018 के लिए पश्‍चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम से स्‍पष्‍टीकरण लंबित हैं।  |
|  |

\*\*\*\*